न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 126/2018

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1गंगाविशन 2मदनलाल पुत्रान चुतराराम जातियान माली निवासीगण हिलासर बास ताउसर तहसील व जिला नागौर।		1राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सडक परिवहन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। 2तहसीलदार (भू.अ.) नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री उरजाराम, नायब तहसीलदार मुण्डवा रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।
3. श्री सी.बी.खुडीवाल, अधिशाषी अभियन्ता सनिवि, रा.रा.मार्ग खण्ड नागौर रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 24.5.18

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, (भू.अ.) नागौर द्वारा ग्राम ढूढीवास के नामान्तरकरण सं. 420 निर्णय दिनांक 18.12.16 से असंतुष्ट होकर दिनांक 05.04.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 10.04.18 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा सी.बी.खुडीवाल, अधिशाषी अभियन्ता सनिवि, रा.रा.मार्ग खण्ड नागौर रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से जवाब उनके पत्र क्रमांक 2700 दिनांक 8.5.18 के द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से जवाब उनके पत्र क्रमांक 456 दिनांक 26.4.18 के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 420 दिनांक 18.12.16 की फोटोप्रति तथा खतौनी संवत 2072–75 की प्रतिलिपि पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट्स ने मियाद के बिंदु पर बहस शुरू करते हुए बताया कि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी प्रारंभ से नही थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 3.4.18 को खतौनी की नकल प्राप्त करने पर उसमें अपीलार्थीगण के खेत में से भूमि प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम दर्ज होने की जानकारी हुई तब नामान्तरकरण की नकल हेतु दिनांक 3.4.18 को आवेदन पेश करने पर नकल दिनांक 4.4.18 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम संपूर्ण जानकारी हुई। प्रकरण में अपीलान्ट्स ने अपनी अपील के साथ मियाद हेतु प्रार्थना पत्र एवं उसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलान्ट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलान्ट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अपीलाधीन नामान्तरकरण खिलाफ कानून व तथ्यों एवं परिस्थितियों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अपीलार्थीगण के खेत खसरा नं. 50/1 में से राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु भूमि अवाप्ति बाबत किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही की गई न ही अधिसूचना जारी की गई व न ही अपीलार्थीगण के नाम से मुआवजा स्वीकृत किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की भूमि को अवाप्त ही नही किया गया था। इसलिये अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि में किसी भी प्रकार का नामान्तरकरण स्वीकृत नही किया जा सकता फिर भी गलत रूप से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। इसलिये भी नामान्तरकरण विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(III)–नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व मौके पर किसी भी प्रकार की जांच नही की गई व न ही प्रभावित खातेदारों को किसी प्रकार का नोटिस जारी किया गया व न ही किसी प्रकार की सुनवायी का अवसर दिया गया तथा जांच की खानापूर्ति कर मौके की जांच किये बिना गलत रूप से नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। जो विधि के सामान्य सिद्वान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। जबकि अपीलार्थीगण की भूमि अवाप्त ही नही की गई थी तथा गलत रूप से नामान्तरकरण बिना जांच के स्वीकृत किया गया है। जो विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय है।

{3}– रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से बताया गया कि खसरा नं. 50/1 हेतु वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अवाप्ति हेतु कोई मुआवजा नही दिया गया है। इस खसरे की भूमि का सडक एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में किया गया नामान्तरकरण सं. 420 अवाप्ति एवं मुआवजा वितरण से पूर्व अपास्त योग्य है तथा राजस्व अधिकारियों की जांच के अनुसार उक्त नामान्तरकरण निरस्त किये जाने में उन्हे कोई आपत्ति नही है। जबकि राजकीय अधिवक्ता एवं नायब तहसीलदार मुण्डवा द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण सं. 126/18 गंगाविशन बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग में वास्तविक हितबद्व व्यक्तियों के संबंध में नामान्तरकरण व मौके की जांच पटवारी हल्का फिडौद से करवाई गयी। जांच रिपोर्ट में ग्राम ढूढीवास के खसरा नं. 50 खातेदार पन्नालाल वगैरा की भूमि अवाप्त होकर अवार्ड जारी हुआ है। जबकि मौके पर खसरा नं. 50/1 की भूमि गंगाविशन, मदनलाल पिता चुतराराम कौम माली सा. ताउसर बास हिलासर की भूमि अवाप्ति क्षेत्र व सडक में आने से नामान्तरकरण सं. 420 खसरा नं. 50/1 में से भूमि कम करते हुए भरा गया। जो सहवन से भरा गया। अतः नामान्तरकरण सं. 420 निरस्त किये जाने योग्य है तथा निरस्त किये जाने में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है। मौके पर खसरा नं. 50 में से भूमि सडक निर्माण में नही की गई है।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में ग्राम ढूढीवास के खसरा नं. 50/1 में से 6.04 बीघा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सडक परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के नाम नामान्तरकरण सं. 420 दिनांक 18.12.16 को स्वीकृत किया गया है। सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति के आदेश के तहत 50/1 की भूमि अधिग्रहण कर उक्त विभाग के नाम नामान्तरकरण के आदेश दिये गये हो, ऐसा रेकर्ड से साबित नही है। बल्कि खसरा नं. 50 की भूमि अवाप्त की गई है। ऐसी स्थिति में जब खसरा नं. 50 में से भूमि अधिग्रहण के आदेश थे तो खसरा नं. 50/1 में से भूमि कम करने का नामान्तरकरण जैर अपील पारित किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा भी खसरा नं. 50/1 में से भूमि कम करते हुए नामान्तरकरण जैर अपील की कार्यवाही को भूलवश होना स्वीकार करते हुए उक्त नामान्तरकरण निरस्त किये जाने में उन्हे कोई आपत्ति नही होना प्रकट किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील उचित आधारो पर होने से आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार कर ग्राम ढूढीवास के नामान्तरकरण सं. 420 पर तहसीलदार, (भू.अ.) मुण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.16 अपास्त किया जाता है। राजस्व रेकर्ड की पूर्ववत स्थिति बहाल की जावे।

{6}–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर